राजस्थान सरकार
राजस्व(गुप-6) विभाग

प0क्र:- 6(9)राज-6/96पार्ट I 17 जयपुर,दिनांक:- 17.10.2005

1. समस्त जिला कलेक्टर,राज0।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अकेंक्षण विभाग।

विषय:- शहरी निकाय क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की 40 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार के कोष में जमा कराने बाबत।

प्राय: यह देखने में आया है कि शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित 90 बी के लिए राजस्व विभाग द्वारा घोषित सक्षम अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ जो रूपान्तरण किया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार के हिस्से की 40 प्रतिशत राशि, शहरी निकाय द्वारा वसूल कर ली जाती है, लेकिन राज्य सरकार के मद में समय पर जमा नहीं करायी जाती।अत: समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश दिये जाते है कि उनके शहरी निकाय क्षेत्रों में कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ जो रूपान्तरण किया है उसमें राज्य सरकार के हिस्से की 40 प्रतिशत राशि तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार के कोष में जमा करवा कर एक माह में पालना रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करें। निदेशक,स्थानीय निधि अकेंक्षण विभाग को निर्देश दिये जाते है कि स्थानिय निकायों का अकेंक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि उन्होने वसूल की गई राशि का 40 प्रतिशत राजकोष में जमा कराया है अथवा नहीं। पूर्व के वर्षो की यदि राशि जमा नही कराई गई है तो उसका अकेंक्षण पैरा बनाया जावें और राशि राजकोष में जमा कराई जावें। यदि स्थानीय निकायों द्वारा उक्त राशि जमा नही कराई जाती है तो स्थानीय निधि अकेंक्षण विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय निकायवार बकाया राशि की सूचना इस विभाग को व वित्त विभाग को प्रेषित करें ताकि वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को देय अनुदान राशि में से कटौती की जा सके।

17.X.05
(के0जी0अग्रवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-
1. शासन सचिव,वित्त(व्यय) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

17.X.05
शासन उप सचिव,राजस्व